फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः— **किशोर डांगी** बनाम **श्रीमती बाबुडी बाई**
किस्म मुकदमाः— **राजस्व** (अपील) **पत्रावली** संख्याः— **19/21** सन्ः— 2021

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।

31.01.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री किशोर डांगी एवं उनके अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2022 अपील विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं। राजीनामें के अनुसार अपील को विड्रो कराना तय हुआ है। अतःअपीलान्ट अपनी अपील को इसी स्तर पर विड्रो कराना चाहता हैं। अपीलान्ट श्री किशोर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी द्वारा की गई।

चुंकी प्रकरण में अपीलान्ट श्री किशोर डांगी द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही है क्योंकि इनके व विपक्षीगणो के मध्य राजीनामा हो गया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद किता शुमारी दफ्तर दाखिल हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:54 IST
Reason: SelfAttested